

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत

मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा

नं.

सन्

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

18.6.24

वकील उज्जयपुर इलाखिया वकील उज्जयपुर में
राजीनाम हेतु समझ-बाँटा / आरक्षण उपलब्ध किया
जाता है। पत्रावली अर्थात् राजीनामा दिनांक 12.7.24
को पेश है।

बहायक कलक्टर मुख्यालय
बोलपुर (राज०)

12.7.24

वकील उज्जयपुर उपस्थित / P.O. साहब
दीगर राज कार्य में व्यस्त है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 26.7.24 को पेश है।

26.7.24

वकील उज्जयपुर इलाखिया वकील उज्जयपुर
में समझ-बाँटा / पत्रावली अर्थात् राजीनामा
दिनांक 30.7.24 को पेश है।

बहायक कलक्टर मुख्यालय
बोलपुर (राज०)

30.7.24

वकील उज्जयपुर उपस्थित / P.O. साहब
दीगर राज कार्य में व्यस्त है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 06.8.24 को पेश है।


06.8.24

वकील उज्जयपुर इलाखिया पत्रावली अर्थात्
अवलोकन किया वकील उज्जयपुर लखनवा
1 वर्ष से अधिक समय से राजीनामा हेतु प्रयत्न
के समझ-बाँटा रहे हैं। न्यायालय द्वारा
इसका काफी अवसर दिया जा चुके है। न्यायालय
द्वारा से अधिक समय से अन्तिम अहकाम जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुकम

दिये जा चुके हैं लेकिन इतने अवसर
दिये जाने के बाद भी वकील उद्यमपत्र
ने कोई कार्यवाही नहीं की और नहीं
शपीनाम पेश किया। वकील उद्यमपत्र
द्वारा इतने अवसर बाद भी कोई कार्यवाही
नहीं करना उनका वाद को नहीं चलाने
जाने की उनकी दिलजस्ती जाहिर करना
है वाद की निष्पत्ति न्यायिक
प्रक्रिया को भी पूर्ण करने एवं वाद
को सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व वादी पर
होना है। ऐसी स्थिति में सिविल
प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 & 15 के
प्रधानों के अन्तर्गत तब वादी एवं कब्रदार
मलेन प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।
पक्षों की फेसल इत्यादि होकर दाखिलदफ्त
होगा।


बहायक कलेक्टर मुक्याल
बोलपुर (राज०)